बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सं0सं0– खाद्य (निदे0)/प्र0–I–21/2024 652 खाद्य, पटना/दिनांक 05/02/2026

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–3045 दिनांक 24.06.2024 एवं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विभागीय आदेश सं0–194 दिनांक 07.02.2025 के द्वारा श्री शंभु चौधरी को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना में संविदा के आधार पर निबंधक के पद पर आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए नियोजित किया गया था।

2. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–3045 दिनांक 24.06.2024 में वर्णित प्रावधानों एवं निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 33 दिनांक 08.01.2026 के द्वारा पुनः की गयी अनुशंसा के आलोक में संविदा के आधार पर निबंधक के पद पर नियोजित श्री शंभु चौधरी को सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित अवधि के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	निबंधक का नाम	जन्म तिथि	नियोजन का कार्यालय	गत संविदा नियोजन संबंधी आदेश सं0 एवं दिनांक	विस्तारित सेवावधि
1	2	3	4	5	6
1	श्री शंभु चौधरी	26.06.1964	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना	आदेश सं0–194 दिनांक 07.02.2025	07.02.2026 से 06.02.2027

3. यह अवधि विस्तार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना के संकल्प सं0–3045 दिनांक 24.06.2024 एवं सामान्य प्रशासन विभोग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधान के तहत निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाता है।

(क) आयोग में लंबित वादों की संख्या 500 से अधिक रहने पर समीक्षोपरांत आवश्यकतानुसार नियोजन को एक–एक वर्ष के लिए 65 वर्ष की उम्र सीमा तक विस्तारित किया जायेगा।

(ख) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी।

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका–3(6)(i) के तहत इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने के स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।

(घ) मानदेय का भुगतान मांग सं0–18 के मुख्यशीर्ष–3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) विपत्र कोड सं0–18–3456000010003 के विषयशीर्ष–28 02 संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत आवंटित राशि से किया जाएगा।

(ङ.) सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका–3(6)(ii) के अंतर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

(च) संविदा नियोजित कर्मी को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

(छ) संविदा नियोजित कर्मी को कोई वित्तीय दायित्व नहीं सौंपा जायेगा।

5/02/2026

(सत्येन्द्र नारायण सिंह)
सरकार के अवर सचिव,
उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–खाद्य (निदे0)/प्र0–I–21/2024 652 खाद्य/पटना, दिनांक– 05/02/2026

प्रतिलिपिः–प्रभारी अध्यक्ष, जिला उपभोता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना/निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विभागीय बजट शाखा, प्रशाखा–05/श्री शंभु चौधरी, संविदा नियोजित निबंधक, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/2/2026

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–खाद्य (निदे0)/प्र0–I–21/2024 652 खाद्य/पटना, दिनांक– 05/02/2026

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर upload करने हेतु प्रेषित।

5/02/2026

सरकार के अवर सचिव।